



**Première**  
BY H&S

To,

Dated :08-06-2023

Senior Manager (Planning)

Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YIEDA)

A-1, First Floor Commercial Complex, Sector- Beta II

Greater Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh

**Subject : Requesting for the Revalidation Of Building Plans for the project "F-Premiere" which is being developed by M/s. Home and Soul Infratech Pvt. Ltd., situated at residential at Pocket GH-B3, Sector 25, Jaypee Greens Sports City, SDZ, Yamuna Expressway Industrial Development Authority Area, Gautam Budh Nagar, U.P.**

**Ref: Sanction Letter No. -YEA/Niyojan/B.P-55/1065, Dated: 10.10.2014 having validity till 21.02.2019 and having Revalidation letter no. -YEA/Niyojan/1175/2022 , Dated: 08.06.2022, having validity till 10.07.2023**

Respected Sir,

It is to bring to your kind notice that M/s. Home and Soul Infratech Pvt. Ltd. is developing a project namely 'F-Premiere" which is being situated at plot No. GH-B3, Sector 25, Jaypee Greens Sports City SDZ, Yamuna Expressway Industrial Development Authority, Area, Gautam Buddha Nagar, U.P. (hereinafter mentioned as "the plot")

Further the above mentioned plot wherein the sanction drawings registration number YEA/Niyojan/B.P.55/1065 was valid till 21.02.2019, and the revalidation of sanction drawings letter no. YEA/Niyojan/I 175/2022 is valid till 10.07.2023.

We hereby request you to kindly further re-validate the building plans for next 5 years.

Hoping for a positive and favorable reply from your end.

Thanks & Regards

Enclosed: copy of sanction letter  
copy of revalidation letter  
set of building plans  
copy of bank challan

HOME & SOUL INFRA TECH PVT. LTD.

DIRECTOR

HOME AND SOUL INFRA TECH PRIVATE LIMITED

Corporate Office: Ground Floor, Tower - B, Tapasya Corporate Heights, Sector-126, Noida-201 301, U.P (INDIA)

Registered Office: B-34, Ground Floor, Gali No-18, Jigar Nagar Farwaha Road, Delhi-110051

T 999990055 E info@homeandsoul.com infratech@homeandsoul.com W homeandsoul.com

CIN: U45208DL2008PTC184425



# यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉन्ग्रेसियल कॉम्प्लेक्स, रीक्टर-ओपेगा, पी-2, ग्रेटर नोएडा शिटी- 201308

पत्रांक आई.ई.ए/नियोजन/ड.ई.55/1065  
दिनांक 10/10/2014

सेवा में,

मैसर्स होम एण्ड सोल इन्फ्राटेक प्राठ लि0  
ए-2/78, ग्राउन्ड फ्लोर, सफ्टवेरजन इन्फोटेक,  
नई दिल्ली।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20/08/2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें आपके द्वारा भूखण्ड संख्या जी.एच. बी-03, रीक्टर-25, (लोकेशन-14188.50 वर्ग मीटर), यमुना एक्सप्रेसवे पर पुनः हाउसिंग के निर्माण के लिये भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपसन्त प्रस्तुत मानचित्रों की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ दी गयी है:-

1. यह मानचित्र दिनांक-21/02/2019 तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिकाए, यमुना प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमत्य नहीं होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
4. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
5. यदि भविष्य में विकास कार्य अथवा अन्य कोई व्यवर्गना जायेगा तो वह किसी भी निकाय के देय होगा।
6. दरवाजे व लिफ्टकिर्चों इस तरह से लगाये जायेगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भुमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
7. आवंटनी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सांगने रखने से सड़क पर यातायात अवरोध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी गैरकी पर कृती भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र की भवन विनियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटनी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण करने के बाद ही गूगल का निर्माण कार्य शुरू करेगा।
9. आवंटनी मैजेनाइन् तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा।
10. सड़क पर अथवा सर्विस लेन में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेगे।
11. आवंटनी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटनी उसे ड्रवेंगा।
12. यह मानचित्र दिनांक-21/02/2019 तक वैध रहेगा बशर्त पटटेदार को पटटे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसने पुनर्जीवित करा लिया हो। पटटे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पटटे की वैधता तिथि तक समाप्त जायेगा।
13. आवंटनी को अभिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से निवमानुसार सम्बद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

10/10/14

14. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिनियम प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।
15. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
16. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14/09/06 में निहित प्राधिकरणों एवं समय-समय पर संशोधनों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मान पर्यावरण सम्बन्धित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमत्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं यमुना एक्सप्रेसवे भवनविनिर्मावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग आदि विभागों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. शारिरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
19. मैसर्स जे०पी०एस०आई० को जारी सैक्टर-25 के भू-विन्यास मानचित्र के स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
20. यदि आवश्यकता हो तो हेरिटेज स्थलों एवं प्राचिन स्मारकों को संरक्षित किये जाने के लिये Ancient monuments, Archaeological sites and remains (Amendment & Validation) Act, 2010 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
21. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
22. संस्था द्वारा ऐसी प्रस्तावित भूमि जिसका अभी संस्था को विधिवत हस्तान्तरण होना शेष है, अथवा वर्तमान तथा भविष्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस पर कोई भी प्रस्ताव केवल नियोजन हेतु ही प्रतीकात्मक रूप से रहेगा, उस भूमि पर संस्था द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
23. आवंटि द्वारा मानकों के अनुरूप एस.टी.पी. का निर्माण कर functional करना होगा।
24. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवंटि स्वयं लेवें।
25. एन०जी०टी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

**संलग्नक- स्वीकृत मानचित्रों की प्रतियाँ।**

(मीना भार्गव)

महाप्रबन्धक-नियोजन

प्रतिलिपि-

1. निजी सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनाार्थ ।
2. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबन्धक-नियोजन



# यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एन ०४, कन्स्ट्रिक्शन कॉम्प्लेक्स, पी ०३, सीक्टर - १२६, नोएडा - २०१३०१, उत्तर प्रदेश, भारत

पत्रांक - आई.ई.ए./नियोजन/१११५/२०२२  
दिनांक - ०४/०६/२०२२

सेवा में

M/s Home & Soul Infotech Pvt.Ltd.  
Tapasya Corp. Heights,  
Tower -B, Ground Floor  
Sector-126, Noida

श्रीमान,

कृपया अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जोकि सीक्टर-25 (एस10डी0जेड0) के अन्तर्गत नियोजित भूखण्ड संख्या-जी.एच. बी 3, सीक्टर-25 पर स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्विधिकरण के सम्बन्ध में है। स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्विधिकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्व में स्वीकृत भवन मानचित्रों को दिनांक-22.02.2019 से दिनांक-10.07.2023 तक पुनर्विधिकरण (Duplicate प्रति पर) किया जा रहा है तथा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृत पत्र दिनांक-10.10.2014 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्नक- पुनर्विधिकरण मानचित्र की प्रति।

भवदीय,

प्रभारी महाप्रबन्धक (नियोजन)

प्रतिलिपि:

1. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक महाप्रबन्धक - सम्पत्ति को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी महाप्रबन्धक (नियोजन)



# Bank of Baroda

YEIDA Office Compound, 1st Floor, Sector P-2, Gr. Noida (U.P.)  
YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY  
PERFORMA INVOICE/CHALLAN

APPLICANT'S COPY

(Deposit at Omega-  
Branch Only)

Form No.

Date 06/06/2023

Individual  Industrial  Commercial  GST No.

Allotment No. YEA-GH-83 Mobile 8588814397

Allottee's Name  
HOME AND SOUL INFRA TECH PVT LTD

Plot No./ House No.  Pocket No.  Sector  Plot Size 14166.5 Sq. mt

NAME OF SCHEME 2009KJ-SD2 Scheme Code : YEA 2009(1)

S.No.	Description of Service	SAC Code	Exempt Value	Taxable Value (Rs.)	CGST Rate%	SGST Rate%	IGST Rate%	Total (Rs.)
1	Allotment Money	997211			9%	9%		
2	Additional Compensation Recovery	997211			9%	9%		
3	Abadi Plot Development Charges	999799			9%	9%		
4	Additional Course Fees	999799			9%	9%		
5	B.O.T. Jan Suvidha Charges	998366			9%	9%		
6	C.I.C. Charges	999799			9%	9%		
7	C.I.S. Charges	999799			9%	9%		
8	Cattle Shed Charges	999799			9%	9%		
9	Community Centre Booking Charges	997211			9%	9%		
16	Duplicate Drawing Charges	999799			9%	9%		
17	Duplicate Map Sanction Charges	999799			9%	9%		
18	Excess Area Amount (One time)	997211			9%	9%		
19	Excess Area Amount	997212			9%	9%		
20	Excess Cost One Time	997212			9%	9%		
21	Excess Construction Cost	999799			9%	9%		
22	Electric Telephone Pipe Charges	999799			9%	9%		
23	Excess Area Conv. Charges	999799			9%	9%		
24	Excess Area Lease Rent	997211			9%	9%		
25	F.A.R. Purchasable	999799			9%	9%		

Invoice Value (in Words) One Lakh Twelve Thousand only Grand Total: Rs. 1,12,000/-

Amount subject to Reverse Charges  Sign. of Depositor [Signature]

D.D./M.T.R. No. INDBN06063140748 Date 06/06/2023 Amount 1,12,000/- Drawn on Bank IndusInd Bank Branch Bara Khamble New Delhi

TO BE FILLED IN BY THE RECEIVING AUTHORITY/BANK  
Received Rs. 112000 by DD / Banker's Cheque / UTR as stated above at risk, cost and responsibility of depositor, in case were the cancellation proceedings have been undertaken, the deposit of above amount will not entitle the depositor to claim any benefit on account of the above deposit made. The right of YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY is reserved to initiate further action as is admissible under the rules and regulations. Any unauthorised payment(s) remitted are liable to be forfeited by YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (GSTIN:09AAALT0341D12C)  
Above Deposits credited in Yamuna Expressway Industrial Development Authority A/c No.

49960100000042 IFSC Code : BARB0YEIDAX

Challan Deposited on 06 JUN 2023  
BANK OF BARODA YEIDA  
AMOUNT Credited on  
SEAL  
06 JUN 2023  
In YEIDA Account

Please Note : 1. Allottees are requested to mention their Name, Allotment No. & their Contact No. on the reverse of the DD.  
2. If challan of GST payment is submitted/ Generated after deposit date, and if penalty advised, will be borne / paid by beneficiary / allottee.

P.T.O. पीछे देखें

S.No.	Description of Service	SAC Code	Exempt Value	Taxable Value (Rs.)	IGST			Total (Rs.)
					Rate%	Rate%	Rate%	
26	Flat Increase Cost	997211			9%	9%		
27	Grass Cutting Charges	999799			9%	9%		
28	Installment	997211			9%	9%		
29	Inspection Charges	999799			9%	9%		
30	Joint Name Processing Fees	999799			9%	9%		
31	Late Penalty (Construction)	999799			9%	9%		
32	Late Penalty (Functional)	999799			9%	9%		
33	Late Penalty(Lease)	999799			9%	9%		
34	Late Penalty (Possession)	999799			9%	9%		
35	Late Penalty (Registration)	999799			9%	9%		
36	Late Registry (Penalty)	999799			9%	9%		
37	Layout Charges	999799			9%	9%		
38	Lease Deed Penalty	999799			9%	9%		
39	Lease Rent (Annual)	997211			9%	9%		
40	Lease Rent (One Time)	997211			9%	9%		
41	Location Charges	999799			9%	9%		
42	Malwa Charges	999799			9%	9%		
43	Master Plan Document Charges	999799			9%	9%		
44	Mordgage Permission Fees	999799			9%	9%		
45	Mutation Permission Fees	999799			9%	9%		
46	One Time Premium	997211			9%	9%		
47	Parking Charges	999743			9%	9%		
48	Penal Interest							
54	R.T.I. Fee	999799			9%	9%		
55	Registration Money	997211			9%	9%		
56	Receipts from Hoarding/Advertisement	998366			9%	9%		
57	Rent Commercial Shops/Office and Others	997212			9%	9%		
58	Rent Permission Charges	999799			9%	9%		
59	Reservation Money	997211			9%	9%		
60	Restoration Charges (Registration)	999799			9%	9%		
61	Revalidation Charges	999799			9%	9%		1,13,000/-
62	Revised Layout Fees	999799			9%	9%		
63	Revision Charges	999799			9%	9%		
64	Revival Charges	999799			9%	9%		
65	Sale of Brochures (New Scheme)	999799			9%	9%		
66	Sale of Forms/Building By-Laws etc.	999799			9%	9%		
67	Sewer Connection Charges	999799			9%	9%		
68	Site Visit Charges	999799			9%	9%		
69	Singage Charges	998366			9%	9%		
70	Temporary Canopy Charges	999799			9%	9%		
71	Temporary Structure Fees	999799			9%	9%		
72	Tenders Forms Sale	999799			9%	9%		
73	Time Extension Charges	999799			9%	9%		
74	Transfer Charges	999799			9%	9%		
75	Transfer Forms Fee	999799			9%	9%		
76	Taxi Stand Charges	997211			9%	9%		
77	UN Senctional Area Amount	999799			9%	9%		
78	Unipol Charges	998366			9%	9%		
79	Vacant Plot Booking Charges	997211			9%	9%		
80	Water Connection Charges	999799			9%	9%		
81	OTHERS.....(Please Specify)							
		Total Rs.						1,13,000/-